




हरियाणा सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा
कार्यालय मुख्य निरीक्षक बॉयलर, हरियाणा


सभी बॉयलर मालिकों को सूचित किया जाता है कि उन बॉयलरों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है जिनकी पानी की क्षमता 25 लीटर से ज्यादा, प्रेशर 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर व तापमान 100 डिग्री होगा। और बॉयलर को पंजीकृत करवाना बॉयलर मालिक की ही जिम्मेवारी है और बिना पंजीकृत बॉयलर चलाना बॉयलर अधिनियम 1923 के अधिन दंडनीय है। किसी भी अप्रिय घटना के लिए बॉयलर मालिक स्वम जिम्मेवार होंगे।

बॉयलर खरीदते व स्थापित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें।

1. बॉयलर को स्थापित करने के लिए केवल मान्यता प्राप्त स्थापित कर्ता (Boiler Erector) को ही चुना जाए।
2. बॉयलर की Steam Pipeline के लिए भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के अनुसार (IBR Material) का इस्तेमाल किया जाए व उनके असल प्रमाण पत्र भी बिक्रेता से लिए जाए। इसके अलावा बॉयलर विक्रेता से भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के अनुसार सम्पूर्ण दस्तावेज (IBR Folder) भूगतान करने के समय लिए जाए और सभी दस्तावेज बॉयलर पंजीकरण के समय व बॉयलर चलाने से पहले विभाग में जमा करवाएं।
3. बॉयलर बिक्रेता की यह जिम्मेवारी है कि बॉयलर के बेचते समय वह बॉयलर के सम्पूर्ण दस्तावेज (IBR Documents) बॉयलर क्रेता को दें व बॉयलर विभाग को सूचित करे। देखने में आया है कि बॉयलर बिक्रेता बिना IBR Folder के क्रेता को दे देते हैं और बॉयलर क्रेता IBR Folder के अभाव में बिना बॉयलर पंजीकृत करवाए चलता है जो की नियमों के विरुद्ध है। किसी भी अनेछित व अप्रिय घटना के लिए बॉयलर मालिकों के साथ साथ बॉयलर विक्रेता भी दुर्घटना के जिम्मेवार होंगे।
4. बॉयलर हमेशा बॉयलर अटैन्डेन्ट/बॉयलर ऑपरेशन ईजीनियर की उपस्थिति में ही चलाए। किसी भी अप्रिय घटना के लिए बॉयलर मालिक जिम्मेवार होगा।
5. स्केल से बचने के लिए बॉयलर कि नियमित तौर पर सफाई करें व Soft Water का इस्तेमाल करें।
6. बॉयलर को सुरक्षित रूप से चलाना बॉयलर मालिकों कि ही जिम्मेवारी है।



असुरक्षित बॉयलर
Baby Boiler



सुरक्षित बॉयलर
IBR Boiler

• यदि आप दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो उपयुक्त बातों से समझौता ना करें।

मुख्य निरीक्षक बॉयलर, हरियाणा
रूम न. 60, 30 बेज बिल्डिंग, प्रथम तल
सेक्टर 17, चण्डीगढ़।